

श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया

(सम्बद्ध: जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया)

प्रवेश परीक्षा, शैक्षणिक सत्र: 2023-24

प्रवेश परीक्षा सम्बन्धित विशेष सूचना (Entrance Exam.2023-24 Brochure)

शैक्षणिक सत्र-2023-24 में महाविद्यालय में संचालित विषयों/ पाठ्यक्रमों-बी0ए0, बी0काम0, बी0एस-सी0 (गणित), बी0एस-सी0 (जीव विज्ञान), एवं स्व वित्तपोषित योजना के अन्तर्गत बी0एस-सी0 (बायोटेक) तथा बी0ए0/बी0एस-सी0 (होम साइंस), एम0ए0-हिन्दी, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र एवं एम0एस-सी0 (प्राणि विज्ञान), वनस्पति विज्ञान एवं स्ववित्तपोषी-योजनान्तर्गत संचालित एम0ए0 भूगोल, रक्षा एवं स्नातकीय अध्ययन, राजनीति शास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं अंग्रेजी तथा एम0एस-सी0 रसायन शास्त्र एवं बायोटेक में प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से दिनांक 15 जून-2023 तक आनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। बी0एस-सी0 (कृषि), एम0एस-सी0 (कृषि) एवं एम0काम0 पाठ्यक्रमों की प्रवेश-परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा करायी जा रही है। इसलिए एम0काम0, बी0एस-सी0 (कृषि) एवं एम0 एस-सी0 (कृषि) प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के वेबसाइट jncu.org.in पर देखें। और आवेदन करें।

अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा फार्म भरने के पूर्व निम्न सूचनाओं पर विशेष ध्यान दें-

1. आवेदन कर्ता अपना मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करे। इसमें त्रुटि होने पर आगे की सूचनायें (Login/OTP) बाधित हो जायेगी। प्रवेश प्रक्रिया समाप्त होने के पूर्व मो0 नं0 न बदलें।
2. प्रवेश परीक्षा फार्म Final Submit करने के पश्चात् कोई सुधार संभव नहीं होगा। इसलिए फाइनल सबमिट से पूर्व छात्र स्वयं सुनिश्चित हों कि फार्म में दी गयी समस्त जानकारी हस्ताक्षर सहित पूर्ण सत्य है।
3. अंतिम रूप से भरे गए फार्म सबमिट करने के पश्चात् आवश्यक निर्धारित प्रवेश पंजीकरण शुल्क (Fee) रू0 350 (तीन सौ पचास मात्र) Online जमा करें, तत्पश्चात् Print Receipt प्राप्त कर लें। रसीद निर्गत होने के पश्चात् ही आप द्वारा भरा गया प्रवेश आवेदन फार्म अंतिम रूप से मान्य होगा।
4. पेमेन्ट निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कन्फर्म होना चाहिए। अगर आपका पेमेन्ट सफल हो जाता है परन्तु पेमेन्ट करने की समय सीमा समाप्त हो जाती है तो आपका फार्म स्वीकार्य नहीं होगा एवं निरस्त माना जायेगा।
5. उपरोक्त सूचनाओं की अनदेखी और लापरवाही से आवेदन-पत्र में किसी त्रुटि से आपको प्रवेश परीक्षा से वंचित किया जा सकता है जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. **आवेदन कर्ता स्वयं का मोबाइल नं0, आधार नं0 एवं ईमेल आईडी0 आवेदन फार्म में अंकित करें। यह विधिक आवश्यकता है।**
7. प्रवेश हेतु भाराँक एवं कैटगरी (OBC/SC/ST/EWS) की स्पष्ट सूचना आवेदन पत्र में देनी होगी तथा संबंधित प्रमाण पत्र भी आवेदन पत्र के साथ ही अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र सबमिट होने के पश्चात् न तो कैटगरी में कोई परिवर्तन होगा न ही कोई कैटगरी/भाराँक संबंधित प्रमाण पत्र स्वीकार किया जायेगा।

प्रवेश सम्बन्धी कार्यक्रम (Admission Activity and Schedule)

1. आनलाइन आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	05 मई, 2023, दिन-शुक्रवार
2. आवेदन की अंतिम तिथि	15 जून, 2023, दिन -बृहस्पतिवार
3. प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की तिथि	बाद में घोषित की जायेगी। महाविद्यालय की वेबसाइट www.smmtcollege.org का प्रत्येक दो-तीन दिन पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।
4. प्रवेश परीक्षा की तिथि	
5. प्रवेश की तिथि	

नोट-बी0एस-सी (कृषि), एम0एस-सी (कृषि) आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, कृषि अर्थशास्त्र तथा स्ववित्त पोषित कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान तथा एम0काम0 में प्रवेश हेतु प्रवेश-परीक्षा का आयोजन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया द्वारा किया जायेगा। इसके लिए जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के वेबसाइट को देखें।

प्रवेश हेतु नियम एवं निर्देश

(Rules and Instructions for Admission)

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया नई शिक्षा नीति 2020 एवं विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय की प्रवेश समिति में पारित प्रवेश नियमावली के आधार पर सम्पन्न होगी। **नई शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप विषयों के चयन प्रक्रिया की नियमावली संलग्न है।**
2. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरा जायेगा।
3. आवेदन-पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। गलत प्रविष्टियों के लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा।
4. प्रवेश परीक्षा के मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में महाविद्यालय विश्वविद्यालय के नियमानुसार उचित निर्णय लेगा।
5. प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग के समय प्रवेश **आवेदन फार्म की एक प्रति**, एक नवीनतम **पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो**, अपेक्षित **समस्त अंक पत्र/प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति** एवं समस्त मूल अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा टी0सी0 की छायाप्रति / माइग्रेशन लाना अनिवार्य है।
6. वर्ष 2021 के पूर्व इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी स्नातक कक्षा में सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होगा। इसी प्रकार स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु 2021 के पूर्व उत्तीर्ण स्नातक पात्र नहीं होंगे।
7. प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की प्रक्रिया बन्द हो जाने के बाद इसे पुनः किसी भी दशा में प्रारम्भ नहीं किया जायेगा।
8. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी का ही प्रवेश परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा। किसी भी दशा में प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले एवं निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेशावेदन पत्र न भरने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश नहीं होगा। यदि किसी ने तथ्यों को छिपाकर प्रवेश करा लिया है तो उसे स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
9. **बी0काम0 (प्रथम वर्ष)** में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट / समकक्ष **परीक्षा वाणिज्य वर्ग / कला वर्ग से अर्थशास्त्र विषय के साथ / विज्ञान वर्ग गणित के साथ उत्तीर्ण** होना अनिवार्य है। इस पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट व्यवसायपरक शिक्षा तथा जीव विज्ञान संवर्ग विषय वाले छात्र प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
10. स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित विषय में स्नातक कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
11. प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन एक ही साथ किया जायेगा तथा निर्धारित सीटों के आधार पर प्रवेश मेरिट के क्रम में होगा।
12. किसी भी कक्षा में निर्धारित सीट से कम आवेदन-पत्र प्राप्त होने की दशा में प्रवेश परीक्षा नहीं होगी तथा प्रवेश योग्यता-प्रदायी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश होगा।
13. प्रवेश प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आरक्षण नियमों के अन्तर्गत सम्पन्न होगी।
14. प्रवेश के समय शुल्क के साथ स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी0सी0), प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन) मूलरूप में जमा करना अनिवार्य होगा।
15. आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार भरी जायेगी। आरक्षण का लाभ केवल

उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा।

16. अपूर्ण आवेदन पत्रों / नियत समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
17. प्रवेश के अर्ह अभ्यर्थियों की सूची कालेज के वेबसाइट पर जारी कर दी जायेगी। इसके साथ ही प्रवेश सूची नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जायेगी।
18. विषय परिवर्तन या संकाय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा और न ही शुल्क आदि का समायोजन किया जायेगा।
19. किसी भी छात्र को एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
20. प्रवेश परीक्षा के दिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन निर्गत प्रवेश-पत्र लाना अनिवार्य है।
21. प्रवेश सम्बन्धी समस्त सूचनाओं हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट www.smmtdcollege.org का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

नोट- एम0ए0 भूगोल, रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन, राजनीतिशास्त्र, एम0एस-सी0 रसायन, बायोटेक, एम0काम0 एम0एस-सी0 (कृषि) कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान में प्रवेश स्व-वित्तपोषित योजनाअन्तर्गत होगा।

प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम

- (अ) स्नातक में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे एवं सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न हो सकते हैं।
- (ब) स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जायेंगे एवं सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न हो सकते हैं।

अनुचित साधन का प्रयोग

यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के समय अथवा किसी अन्य स्थिति में किसी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पाया जाता है, तो उसकी प्रवेश परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। परीक्षा कक्ष में किसी अन्य अभ्यर्थी से बातचीत करना, अनुचित व्यवहार करना, किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गजट, मोबाइल आदि लाना निर्धारित केन्द्र, कक्ष अथवा सीट पर न बैठना, अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा। इस सम्बन्ध में कक्ष निरीक्षक की रिपोर्ट ही पर्याप्त प्रमाण होगी तथा केन्द्राध्यक्ष की रिपोर्ट पर परीक्षा नियन्त्रक / प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

स्वीकृत अन्तराल

प्रवेश हेतु दो वर्ष का अन्तराल अनुमन्य है। इसके लिए शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ पत्र इस आशय का होगा कि अभ्यर्थी ने अन्तराल वर्ष / वर्षों में कही प्रवेश नहीं लिया था। न ही अनुचित साधन प्रयोग में दंडित किया गया था। एक वर्ष के अन्तराल पर 5 गुणांक एवं 2 वर्ष के अन्तराल पर 10 गुणांक की कटौती के पश्चात प्रवेश सूची के योग्यता गुणांक का निर्धारण होगा।

काउंसिलिंग (Counselling)

महाविद्यालय द्वारा निर्धारित **काउंसिलिंग तिथि को समस्त मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्र लाना अनिवार्य है।** प्रवेश के समय मूल **टी0सी0/माइग्रेशन प्रमाण-पत्र अनिवार्यतः** जमा करना होगा। प्रवेश परीक्षा की मेरिट तथा विषय में सीटों की उपलब्धता के आधार पर विषयों का आबंटन किया जायेगा। अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थियों को शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप जाति आय प्रमाण-पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था

1. अनुसूचित जाति के लिए **21%** अनुसूचित जनजाति के लिए **2%** तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए **27%** स्थान आरक्षित हैं। अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय जाति का मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 03 वर्ष से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। नियमानुसार आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी हों। अन्य पिछड़ी जाति में आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र चाहिए।
2. उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों के अभ्यर्थियों का प्रवेश में 5 प्रतिशत स्थान कृषि संकाय में प्रवेश हेतु लागू होगा।

क्षैतिज आरक्षण

(क) दिव्यांग अभ्यर्थियों की सभी श्रेणियों (दृष्टिहीन / कम दृष्टि, श्रवण हास एवं पालन निःशक्तता या प्रमस्तिष्कीय

अंगघात) के लिए पृथक-पृथक एक प्रतिशत (1%) स्थान कुल 03 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण उनकी दिव्यांगता का परीक्षण करने के उपरान्त दिव्यांगता 60% या 60% से अधिक होने की स्थिति में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत किया गया प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न (अपलोड) करना होगा।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों के लिए कुल 02 प्रतिशत सीट सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(ग) उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा युद्ध में मारे गये रक्षा कर्मियों अथवा उत्तर प्रदेश में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र-पुत्रियों को प्रत्येक पाठ्यक्रमानुसार समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 5 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

(घ) महिला अभ्यर्थियों हेतु 20 प्रतिशत स्थान सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा। महिलाओं के कुल आरक्षित सीट संख्या में से 02 प्रतिशत सीट विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित होगा।

(ङ) उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 14 मार्च, 2019 के अनुपालन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा। इस वर्ग में आवेदन हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

मान्य अधिभार

1. श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया से उत्तीर्ण स्नातक के छात्रों को स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु 10 अंक का अधिभार देय होगा।
2. महाविद्यालय के कर्मियों (शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक) के आश्रितों (यथा-पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री) के लिए 5-5 प्रतिशत स्थान (कुल 10 प्रतिशत स्थान) सम्बन्धित संवर्ग में श्रेणीवार आरक्षित है।

विवरण	भारोंक
राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय या अन्तर विश्वविद्यालय खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को-	
(1) एकल प्रतियोगिता के अभ्यर्थी द्वारा	15
(2) समूह प्रतियोगिता में	10
(3) किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अन्तर महाविद्यालय टूर्नामेंट या क्रीड़ा या खेलकूद प्रतियोगिताओं में	10

विवरण	भार्रांक
नेशनल कैंडिड कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी	
(1) नेशनल कैंडिड कोर में (सी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-2 प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	15
या	
(2) नेशनल कैंडिड कोर में (बी) प्रमाण पत्र पाने वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा जी-1 प्रमाण-पत्र पाने वाली महिला अभ्यर्थी को	10
या	
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 2 या 2 से अधिक शिविरों में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को	15
या	
(4) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा एवं 1 विशेष शिविर में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को	10
(5) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत 240 घण्टे की सेवा करने वाले अभ्यर्थी को	05
या	
(6) स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेंजर्स राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थी को	15
या	
(7) स्काउट एवं गाइड्स का राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त अथवा रोवर्स/रेंजर्स निपुण अभ्यर्थी को	10
(8) स्काउट एवं गाइड्स ध्रुवपद या गुरुपद अथवा रोवर्स/रेंजर्स तृतीय सोपान में प्रवीण प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को	05
1. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र या पुत्री का पुत्र या अविवाहित पुत्री को	15
2. ऐसे अभ्यर्थी जो सक्रिय सेवारत या विसैन्यीकृत या सेवा निवृत्त प्रतिरक्षा कर्मचारी हों या ऐसे कर्मचारी से पुत्र या पुत्री के रूप में संबन्धित हो या ऐसे कर्मचारी जो अपंग, लापता या मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी से उनके पुत्र, पुत्री, पत्नी के रूप में सम्बन्धित हों।	15
3. ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पिता अथवा पति पुलिस या पी0ए0सी0 या बी0एस0एफ या एस0एस0बी0 या आई0टी0बी0पी0 या सी0आर0पी0एफ या होमगार्ड्स में सेवारत हों या सेवानिवृत्त, अपंग या मृत हो गये हों, का प्रमाण पत्र (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिए)	15
4. ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा तलाकशुदा या परित्यक्ता हो (ऐसे अभ्यर्थी को विधिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा)	15

नोट: अधिकतम अधिभार केवल 25 गुणांक ही देय होगा।

- अभ्यर्थी प्रवेश आवेदन सम्बन्धित किसी भी समस्या के निराकरण हेतु **Email- Helpline Number:** पर मेल कर सकते हैं। मेल द्वारा अभ्यर्थी का प्रवेश आवेदन सम्बन्धित समस्या का समाधान किया जायेगा।
- प्रवेश संस्तुत होने के पश्चात् 24 घण्टे के अन्दर शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश हेतु आनलाइन शुल्क जमा करने के पश्चात् जब तक लेजर क्रमांक का आबंटन नहीं होता है, तब तक अंतिम रूप से प्रवेश मान्य नहीं होगा।
- प्रवेश के पश्चात् परिचय पत्र भी महाविद्यालय के बेबसाइट से आनलाइन प्राप्त हो सकेगा जिसे छात्र को सुरक्षित रखना होगा।

प्रवेश लेते समय यदि एक स्थान रिक्त हो और दो या उससे अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में बराबर अंक हो तो अर्हकारी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन किया जायेगा।

अर्हता

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता
(i)	बी0ए0	इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष।
(ii)	बी0एस-सी0, गणित	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित से इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
(iii)	बी0एस-सी0, बायो	जीव विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(iv)	बी0काम0	(वाणिज्य वर्ग / कला वर्ग-अर्थशास्त्र / विज्ञान वर्ग गणित से) इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। इण्टरमीडिएट व्यवसायपरक शिक्षा विषय वाले छात्र प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।
(v)	★ बी0एस-सी0 (कृषि)	कृषि / जीव विज्ञान / गणित वर्ग से इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण / प्रवेश हेतु वोकेशनल व्यवसायिक कोर्स मान्य नहीं होगा।
(vi)	बी0एस-सी0 बायोटेक	जीव विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट / समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण।
(vii)	एम0ए0 / एम0एस-सी0 / ★ एम0काम ★ एम0एस-सी (कृषि)	सम्बन्धित विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण / सम्मिलित।

वर्ष- 2023 में अर्हकारी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी भी प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं, परन्तु चयनित होने की स्थिति में काउंसिलिंग के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

★ विषयों की प्रवेश परीक्षा जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया द्वारा सम्पन्न कराई जायेगी।

नोट- स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त छात्र, दूसरे विषय से नियमित विद्यार्थी के रूप में एम0ए0 करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।

प्रवेश हेतु सामान्य नियम

- (1) आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी जिस वर्ग से आरक्षण का अधिकारी है, उसे अपना संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- (2) अभ्यर्थी जिस श्रेणी के लिए आवेदन पत्र पर अपनी स्वीकृति देगा, उसी के अनुरूप उसे प्रवेश की अनुमति / सुविधा दी जायेगी, बशर्ते कि वह अर्ह हो तथा योग्यताक्रम में आता हो।
- (3) आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार भरी जायेंगी। आरक्षण का लाभ केवल उ0प्र0 के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा।
- (4) योग्यता गुणांक प्रतिदेय के साथ ही बनाया जायेगा।
- (5) अलग-अलग संकायों / विषयों हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा। प्रवेश के पूर्व अथवा प्रवेश के बाद किसी भी दशा में संकाय / विषय का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश हेतु जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। किसी विषय में प्रवेश लेने के पश्चात् प्रवेश अथवा अन्य शुल्क न तो वापस किया जायेगा और न ही अन्य पाठ्यक्रम में स्थानान्तरित किया जायेगा।
- (6) सभी मूल प्रमाण पत्रों को बिना देखे तथा चरित्र प्रमाण-पत्र, टी0सी0 / माइग्रेशन प्रमाण-पत्र को जमा किये बिना प्रवेश नहीं होगा। प्रवेश के लिए सूचित तिथि एवं समय पर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं निर्धारित शुल्क सहित नहीं उपस्थित होने पर चयनित अभ्यर्थी का प्रवेशाधिकार स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (7) गलत सूचनाओं के आधार पर प्रवेश हेतु प्राप्त अनुमति एवं शुल्क जमा करने के बाद भी प्रवेश निरस्त किया जा

सकता है। जमा शुल्क भी इस दशा में वापस नहीं होगा।

(8) जनपद के पुलिस अधीक्षक की अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही किसी विदेशी छात्र का प्रवेश लिया जा सकता है।

(9) यदि किसी विषय में प्रवेश परीक्षा के आवेदन-पत्रों की संख्या निर्धारित प्रवेश स्थानों से कम होगी तो उस विषय में प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा। ऐसी दशा में सम्बन्धित प्रवेश समिति अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश नियमों का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों का प्रवेश करेगी।

(10) यदि भूल से किसी ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है और उसे प्रवेश-पत्र निर्गत कर दिया जाता है, जिसे प्रवेश परीक्षा में बैठने का अधिकार न हो अथवा वह अर्ह न हो अथवा किसी अन्य कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्र न हो तो महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि वह उसकी परीक्षा में बैठने की अनुमति, परीक्षाफल एवं प्रवेश को निरस्त कर दे।

(11) महाविद्यालय के प्राचार्य को किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश अनुशासन बनाये रखने हेतु निरस्त करने का अधिकार होगा।

(12) ऐसे किसी अभ्यर्थी को जो पुलिस रिकार्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि तथ्य छिपाकर कोई प्रवेश ले लिया है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(13) महाविद्यालय में किसी छात्र का प्रवेश नियमों के विरुद्ध होने अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(14) अनुशासन मंडल के अनुसार रैगिंग करने, महाविद्यालय परिसर के वातावरण को दूषित करने अथवा महाविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्हवहार करने का दोषी पाये जाने पर बिना कारण बताये छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

(15) किसी भी छात्र को एक साथ दो नियमित पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(16) यदि कोई अभ्यर्थी प्रवेश हेतु दो विषयों की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है, तो उसे प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र भरना होगा। ऐसी दशा में उसे पहले ही प्रवेश परीक्षा की समय-सारिणी देखकर आवेदन करना चाहिए क्योंकि यदि दोनों विषयों की प्रवेश परीक्षा एक ही तिथि पर एक ही समय में होती है, तो प्रवेशार्थी की सुविधा के लिए समय-सारिणी में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(17) प्रवेश प्रक्रिया सम्बन्धी सभी सूचनायें महाविद्यालय की वेबसाइट तथा सूचना पट्ट पर दी जायेगी।

प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमों एवं उपलब्ध सीटों का विवरण

क्र०सं०	पाठ्यक्रमों का विवरण	उपलब्ध सीटें
1	बी०ए०	1140 सीट
2	बी०एस-सी० (गणित वर्ग)	300 सीट
3	बी०एस-सी० (जीव विज्ञान)	240 सीट
4	" " (बायोटेक)	60 सीट
5	बी०एस०-सी० (कृषि)	120 सीट
6	बी०काम०	300 सीट
7	एम०ए०- हिन्दी	प्रत्येक में 60 सीट
8	" " संस्कृत	
9	" " प्राचीन इतिहास	
10	" " अर्थशास्त्र	
11	" " समाज शास्त्र	
12	" राज० शास्त्र (स्ववित्तपोषी)	प्रत्येक में 60 सीट
13	एम०काम० (स्ववित्तपोषी) अंग्रेजी	
14	एम०ए०-भूगोल (स्ववित्तपोषी)	प्रत्येक में 30 सीट
15	रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन (स्ववित्तपोषी) शिक्षाशास्त्र	
16	एम०एस-सी० (कृषि) कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान	प्रत्येक में 20 सीट
17	" " अर्थशास्त्र	
18	" आनु० एवं पादप प्रजनन	
19	एम०एस-सी० वनस्पति विज्ञान	प्रत्येक में 30 सीट
20	" " प्राणि विज्ञान	
21	" बायोटेक (स्ववित्तपोषी)	
22	" रसायन विज्ञान (स्ववित्तपोषी)	

नोट-बी०एस-सी० (कृषि), एम०एस-सी० (कृषि) एवं एम०काम० की प्रवेश परीक्षा जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

प्रवेश परीक्षा - 2022-2023

प्रवेश परीक्षा के सम्बन्ध में निर्देश

- (1) आपको परीक्षा कक्ष में परिनिरीक्षक द्वारा सर्वप्रथम एक विशेष प्रकार का उत्तर चार्ट (OMR) दिया जायेगा। आप इस विशेष उत्तर - चार्ट पर प्रविष्टियाँ पूर्ण करने से पूर्व भली-भाँति चेक कर लें कि कहीं यह गंदा, कटा-फटा, मुड़ा, सिलवट पड़ा या गोल मोड़ा गया तो नहीं है और इस पर किसी प्रकार के दाग, धब्बे तो नहीं हैं क्योंकि ऐसे उत्तर चार्ट को कम्प्यूटर द्वारा सही-सही नहीं पढ़ा जा सकेगा, जिससे आपको हानि हो सकती है। अतः ऐसे उत्तर चार्ट को तुरन्त परिनिरीक्षक से कह कर बदल लें। परीक्षा आरम्भ होने के 5 मिनट पूर्व आपको एक प्रश्न-पुस्तिका दी जायेगी, जिसमें दिये गये प्रश्नों के उत्तर, उत्तर चार्ट में भरने होंगे।
- (2) उत्तर चार्ट पर वाँछित सभी सूचनाएं जैसे अनुक्रमांक (अंकों में), वर्ग (CATEGORY), लिंग (Gender) अभ्यर्थी (**Test Booklet Series No.**) टेस्ट फार्म श्रृंखला **A,B,C** या **D** इत्यादि जैसा आप के प्रश्न पुस्तिका के आवरण पृष्ठ के ऊपर **दायी ओर अंकित होगा, अवश्य उस गोले को काला करें। उत्तर पत्र चार्ट पर टेस्ट श्रृंखला अंकित नहीं करने पर उत्तर पत्र का मूल्यांकन नहीं होगा** तथा परिनिरीक्षक के हस्ताक्षर आदि को केवल बाल पेन से ही भरना है। जैसे ही उत्तर-चार्ट आपको प्राप्त होता है, उत्तर चार्ट की सारी प्रविष्टियों को बाल पेन से भर लें एवं जो न लागू होता हो, उसे छोड़ दें। उत्तर चार्ट पर Roll No. हेतु बने निर्धारित स्थान पर बाल पेन से प्रविष्टि करें तथा काले या नीले बाल पेन से सम्बन्धित अंक के गोले को काला करें।

Name of Candidate :

अपना पूरा नाम अंग्रेजी में उसी प्रकार लिखे जैसा कि आपके हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दिया गया है। एक चौकोर खाने में केवल एक अक्षर लिखे तथा चौकोर खाने के नीचे दिये गये सम्बन्धित गोलों को काला या नीला बाल पेन से भरें। नाम के दो भागों के बीच में एक खाना खाली छोड़ें। खाली चौकोर खाने के नीचे कोई भी गोला काला न करें। अपना नाम इस प्रकार से भरे कि वह दिये गये चौकोर खानों में आ जाये। नाम के पहले श्री/श्रीमती/कुमारी आदि न लगायें। यदि आवश्यकता हो तो अपने मध्य नाम को छोटा करके लिखें।

आप का अनुक्रमांक :

आप का अनुक्रमांक : पांच अंकों का है। जो आपके प्रवेश पत्र पर अंकित होगा। जिसे Student Roll Number के कालम में भरना है Roll No. लिखने के लिए एक कतार के पांच खाने दिये गये हैं। प्रत्येक खाने के नीचे गोले बने हैं। जिसमें 0 से 9 तक के अंक लिखे हैं। उपर बने चौकोर खाने में आप अपना Roll No. बाल पेन से अंग्रेजी अंकों में लिख दें तथा उससे सम्बन्धित नीचे बने गोले को काले या नीले बाल पेन से काला करें। उदाहरण O.M.R. सीट नमूना पर देख लें।

Category :

आप जिस वर्ग के लिए आवेदन करना चाहते हैं। उस वर्ग के सामने के गोले को काला करें जैसे आप सामान्य वर्ग से सम्बन्धित हैं, तो General के सामने के गोले को काला करें। यदि आप O.B.C. वर्ग के हैं और प्रमाण पत्र रखते हैं तो आप O.B.C. के सामने के गोले को काला करें। यदि आप S.T. वर्ग से सम्बन्धित हैं और S.T. का प्रमाण पत्र है, तो S.T. के सामने के गोले को काला करें।

Gender/Sex :

यदि आप पुरुष हैं तो Male के सामने के गोले को काला करें। यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो Female के सामने के गोले को काला या नीला बाल पेन से काला करें। भरा हुआ O.M.R. सीट नमूना पर देखें।

महत्वपूर्ण—

- (1) उत्तर चार्ट में प्रश्नों के उत्तर देने हेतु गोलों में विभिन्न अंक लिखें हैं। प्रश्नों के उत्तर से सम्बन्धित अंक को केवल काले बाल पेन से गहरा काला भरना है। किसी अन्य प्रकार की पेन्सिल जैसे— H,2H,3H,B,2B,3B आदि का प्रयोग न करे अन्यथा आपके उत्तर चार्ट में बनाया गया चिन्ह (काला, निशान) कम्प्यूटर स्कैनर द्वारा ठीक से नहीं पढ़ा जा सकेगा, जिससे आपको हानि हो सकती है, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। कृपया सुनिश्चित कर लें कि उत्तर चार्ट की सभी प्रविष्टियां पूर्ण कर दी गई हैं एवं परिनिरीक्षक द्वारा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।
- (2) परीक्षा प्रारम्भ होने का संकेत मिलते ही आप प्रश्न-पुस्तिका को खोलकर भली-भाँति जाँच कर लें कि उसमें पूरे सौ (100) प्रश्न क्रमानुसार छपे हैं तथा कहीं प्रिन्ट (PRINT) छूटा तो नहीं है अथवा कटी-फटी या अपूर्ण तो नहीं है। यह भी जाँच कर लें कि प्रश्न-पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर टेस्ट फार्म श्रृंखला (Test Booklet Series No.) स्पष्ट एवं पठनीय है। ऐसा न होने पर तुरन्त प्रश्न-पुस्तिका बदल लें, तत्पश्चात आप प्रश्नों को हल करना प्रारम्भ करें। सभी रफ कार्य (ROUGH WORK) प्रश्न-पुस्तिका पर ही करें। उत्तर चार्ट (OMR) पर रफ कार्य कदापि न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपका उत्तर चार्ट कम्प्यूटर द्वारा सही नहीं जाँचा जायेगा। प्रश्न-पत्र में प्रत्येक प्रश्न के नीचे चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये होंगे, इनमें से जिस उत्तर को आप सही समझते हों, उसका उत्तर (विकल्प) संख्या चुनकर, उत्तर चार्ट में दिये गये प्रश्न की क्रम संख्या के सामने दिये गये सही उत्तर (विकल्प संख्या) वाले गोले को पूरा काले बाल पेन से काला कर दें,
- (3) उत्तर चार्ट में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए प्रश्न की क्रम संख्या के सामने गोले बने हैं, जिन पर A,B,C व D शब्द अंकित है। प्रश्न-पत्र में प्रत्येक प्रश्न के सामने वैकल्पिक उत्तर A,B,C व D शब्दों द्वारा दर्शाये गये हैं। आपको इनमें से उस प्रश्न का सही उत्तर (विकल्प संख्या) चुनना है। अब आपको उत्तर चार्ट में प्रश्न की क्रम संख्या के सामने दिये गये सही उत्तर (विकल्प संख्या) वाले गोले को पूरा काले या नीले बाल पेन से भरना है। उदाहरणार्थ— यदि प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर B है, तो उसे उत्तर चार्ट पर नमूना उत्तर पत्र अनुसार दर्शाया जाना चाहिए। नमूना उत्तर पत्र अर्थात् प्रश्न संख्या 21 के सामने खाना—B काले बाल पेन से पूरा काला भर दें, पुनः ध्यान रहे कि उत्तर काला करने के लिए स्याही वाले पेन या बाल पेन का प्रयोग करना है तथा अन्य पेन्सिलें H,2H,3H आदि का प्रयोग भी न करें क्योंकि उक्त पेन्सिलों द्वारा बनाए गए चिन्ह बहुत हल्के होंगे और कम्प्यूटर (ऑप्टिकल स्कैनर) द्वारा नहीं पढ़े जा सकेंगे।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर सहित :

O.M.R. उत्तर पत्र पर अपना व्यावहारिक हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर अवश्य करें। आपका हस्ताक्षर आपकी पहचान को दर्शाता है। अतएव हस्ताक्षर के स्थानों पर अपने नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में न लिखें। इससे आपका अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है।

प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने की विधि



- (i) परीक्षा के प्रारम्भ में प्रश्न-पुस्तिका तथा अलग से उत्तर-पत्र दिये जायेंगे।
- (ii) प्रश्न पुस्तिका मिलने के 10 मिनट के अन्दर ही परीक्षार्थी को आश्वस्त हो जाना चाहिये कि उसके प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लेनी चाहिये।
- (iii) परीक्षार्थी को अपना Roll No. तथा टेस्ट फार्म श्रृंखला (Test Booklet Series No.) निर्दिष्ट स्थान पर स्याही/बालपेन से लिख लेना चाहिये। इसके अतिरिक्त उन्हें अपना अनुक्रमांक उत्तरपत्र के अधोभाग में उपयुक्त वृत्त में नीले/काले बाल प्वाइंट पेन से अंकित करना चाहिये।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर A, B, C तथा D होंगे। परीक्षार्थी को उनमें जिसे सही उत्तर समझता है, उसका चयन करना है। उत्तरपत्र के प्रथम पृष्ठ पर वर्णित निर्देशों के अनुसार परीक्षार्थी द्वारा उपयुक्त उत्तर को उसके सही वृत्त में नीले/काले बाल प्वाइंट पेन से दर्शाना है। उदाहरण के लिये यदि प्रश्न संख्या 15 के 4 वैकल्पिक उत्तरों A, B, C तथा D में से परीक्षार्थी सही उत्तर के लिये (B) का चयन करता है, तो उसे उपयुक्त वृत्त में निम्नोक्त प्रकार से दिखाया जाना चाहिये।

प्रश्न संख्या 15



- (v) यदि परीक्षार्थी एक से अधिक वृत्त को रंगता है तो उसका उत्तर गलत समझा जायेगा तथा यदि वृत्त को काला करने की प्रक्रिया में असमानता है अर्थात् उसके द्वारा प्रत्येक प्रश्नोंत्तरों के लिये बनाये गये काले वृत्त में एकरूपता नहीं है तो भी गलत उत्तर समझा जायेगा। मार्किंग के लिये अपनायी गयी अन्य विधियां, यथा टिक मार्क, क्रॉस मार्क, बिन्दु का प्रयोग, लाइनमार्क तथा आधे भरे हुये वृत्त व वृत्त के बाहर बनाये गये मार्क का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

सही उत्तर देने की विधि-

सही उत्तर -  गलत उत्तर 

- (vi) प्रश्न पुस्तिका के शीर्ष आवरण के अंतर्वर्ती पृष्ठ या प्रश्न पुस्तिका के अंत के स्थान/पृष्ठ अस्वच्छ लेखन कार्य (रफ कार्य) के लिये उपयोग में लाये जा सकते हैं।
- (vii) प्रश्न पुस्तिका के किसी भी पृष्ठ को फाड़ना या हटाना पूर्णतया वर्जित है। यदि कोई परीक्षार्थी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो वह अनुचित साधनों के उपयोग करने की सजा का भागी होगा।

विशेष: अभ्यर्थी ध्यान रखें कि चूंक उत्तर स्याही से दर्शाये जा रहे हैं अतः एक बार दर्शाये गये उत्तर में परिवर्तन करना सम्भव नहीं होगा।

प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

- (i) परीक्षार्थी को अपनी प्रवेश परीक्षा से सम्बन्धित वैध प्रवेश-पत्र लाना चाहिये। उसे उक्त परीक्षा हेतु निर्धारित अपने Roll No. की सीट पर ही स्थान ग्रहण करना चाहिये।
- (ii) प्रवेश परीक्षा प्रारम्भ होने के आधा घण्टा के पश्चात परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) किसी प्रश्न के गलत होने पर सभी को बराबर अंक दिये जायेंगे।
- (iv) परीक्षार्थी को परीक्षा समाप्त होने के पूर्व परीक्षा-कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (v) दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के अलावा प्रवेश परीक्षाओं में 'लेखक' उपलब्ध कराने अथवा लेखक लाने का कोई प्रावधान नहीं है। दृष्टिहीन अभ्यर्थी को 'लेखक' निवेदन करने पर ही उपलब्ध कराया जायेगा।
- (vi) किसी भी स्रोत सामग्री की तनिक भी शंका होने पर अचानक कक्ष निरीक्षक द्वारा या परीक्षा संचालन से सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा परीक्षार्थी की जाँच सहसा और बार-बार की जा सकेगी।
- (vii) कैलकुलेटर/वाँच कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डायरी, पेजर, मोबाइल फोन, ईयर फोन, अलार्म घड़ी, मेमोरी वाली डिजिटल घड़ी, स्लाइड रूल, इत्यादि परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है। अनुज्ञापित हथियार आग्नेय अस्त्र, प्राणघातक हथियार के रूप में प्रयोग किये जाने वाले औजार भी परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं है।

महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित संकाय का गठन निम्नवत है-

(1) Faculty of Language (भाषा संकाय)

1. अंग्रेजी (English)
2. हिन्दी (Hindi)
3. संस्कृत (Sanskrit)
4. उर्दू (Urdu)

(2) Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences (कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय)

1. प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति (Ancient History, Archaeology & Culture)
2. इतिहास (मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास) (History-Medieval & Modern History)
3. भूगोल (Geography)
4. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन (Defence & Strategic Studies)
5. राजनीति विज्ञान (Political Science)
6. दर्शनशास्त्र (Philosophy)
7. मनोविज्ञान (Psychology)
8. समाजशास्त्र (Sociology)
9. शिक्षाशास्त्र (Education)
10. शारीरिक शिक्षा (Physical Education)
11. अर्थशास्त्र (Economics)
12. गृह विज्ञान (Home Science)

(3) Faculty of Science (विज्ञान संकाय)

1. वनस्पति विज्ञान (Botany)
2. जन्तु विज्ञान (Zoology)
3. भौतिक विज्ञान (Physics)
4. गणित (Mathematics)
5. रसायन विज्ञान (Chemistry)
6. सांख्यिकी (Statistics)
7. जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान (Biotechnology)

(4) Faculty of Commerce (वाणिज्य संकाय)

1. बी०काम० (B.Com)

(5) Faculty of Fine Art and Performing Art (ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय)

1. संगीत गायन (Music-Vocal)
2. संगीत वादन (Music Instrumental-Sitar & Tabla)

(1.3) कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र (Course/Paper)

1.3.1 एक विषय के विभिन्न सैद्धांतिक / प्रायोगिक कार्यक्रमों के पेपर को कोर्स / पेपर / प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

(1.3.2) सैद्धांतिक और प्रायोगिक के पेपर्स / प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर

3.1 विद्यार्थी को प्रवेश के समय अपनी शैक्षणिक अर्हतानुसार एक संकाय (भाषा, कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर)

तक वह अध्ययन कर सकता है।

- 3.2 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- 3.3 विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है, अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- 3.4 माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय का पेपर (4/5/6, क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय।
- 3.5 माइनर इलेक्टिव पेपर छात्र को किसी भी संकाय (Own Faculty or Other Faculty) से लेना होगा। इसके लिए किसी भी Pre-Requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3.6 बहुविषयकता (Fultidiseplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- 3.7 तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक विषय, अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।
- 3.8 विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (स्नातक) तथा स्नातकोत्तर में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर पेपर प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय के पेपर को आवंटित कर सकता है। तृतीय वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- 3.9 विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- 3.11 माइनर इलेक्टिव पेपर का चुनाव महाविद्यालय में संचालित विषयों के प्रश्नपत्रों में से किया जायेगा। चुने हुए माइनर पेपर की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ ही होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ होगी।

(6) कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill Development Courses)

- 4.1 स्नातक के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स ($3 \times 4 = 12$ क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) करना होगा।

प्रथम सेमेस्टर- द्वितीय सेमेस्टर

(7) सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses)

- 5.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-विषय/कोर्स करना अनिवार्य होगा।
- 5.2 हर सह-विषय/कोर्स को 40 प्रतिशत अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा। इसमें कोई कृपांक देय नहीं होगा। विद्यार्थी की ग्रेड सीट पर इनके प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
- 5.3 स्नातक स्तर के विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में लिये जाने वाले सह-विषय/कोर्स (Co-Curricular Courses) निम्नवत है।
स्नातक प्रथम सेमेस्टर— खाद्य एवं पोषण (Food and Nutrition)
स्नातक द्वितीय सेमेस्टर— प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (Health and Hygiene)
स्नातक तृतीय सेमेस्टर— शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर— मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
स्नातक पंचम सेमेस्टर— विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Disital Awereness)
स्नातक षष्ठम् सेमेस्टर—संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communicationa skills and Personality development)

क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण

- 7.1 सैद्धान्तिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घण्टा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घण्टे का शिक्षण कराना होगा।
- 7.2 प्रायोगिक (Practical) / इन्टर्नशिप / फील्डवर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घण्टे प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घण्टे का प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घण्टे का कार्यभार प्रैक्टिकल / इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि के दो घण्टे के कार्यभार के बराबर होगा।
- 7.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय "एकेडमिक बैंक आफ क्रेडिट" के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे।
- 7.4 विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इसके आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चारवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0आर0 ले सकता है।
- 7.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा कर 46 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट / डिप्लोमा नहीं लेता है तो व 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- 7.6 यदि कोई योग्य छात्र थेंज समंतदमतद्ध कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेता है, तो छात्र को न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अन्तराल की सुविधा होगी, परन्तु उसे डिग्री 03 वर्ष बाद ही मिलेगी। अन्तराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 7.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- 7.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी।
- 7.9 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का प्रतिशत अर्थात् 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजुकेशन (B.L.Ed.) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- 7.10 यदि कोई छात्र सर्टिफिकेट / डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट / डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण

- 8.1 क्रेडिट वेलीडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- 8.2 परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- 8.3 यदि कोई छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षाये लेने